न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 324/2018 (2018/00324)

हेमराज उर्फ दयाल पुत्र स्व. श्री मालाराम आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.) ..... प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती पांची पत्नि स्व. श्री रामचन्द्र जाति जाट आयु 80 वर्ष निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ जिला अजमेर (नाम तर्क आदेश दिनांक 25.06.2017)
2. रामलाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति जाट आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ जिला अजमेर
3. राजू पुत्र स्व. श्री श्रवण जाति जाट आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ जिला अजमेर
4. श्रीमती गोगा पत्नि स्व. श्री श्रवण जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ जिला अजमेर
5. विनोद पुत्र स्व. श्री मालाराम जाति जाट आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ जिला अजमेर
6. श्रीमती सुगनी पत्नि स्व. श्री मालाराम जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ जिला अजमेर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राज.

.....अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 14.02.2025

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामेश्वरलाल

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ के स्थायी निवासी है जिनका मुख्य पेशा कृषि व पशु पालन का है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ग्राम चुन्दड़ी के खसरा नम्बर 59, 93/1, 60, 61, व 62 की कुल 76 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

मालाराम जाट (मृतक)

श्रीमती सुगनी	हेमराज उर्फ दयाल	विनोद
(पत्नि)	(पुत्र)	(पुत्र)

प्रार्थी का वास्तविक नाम हेमराज है उसने उक्त नाम से ही विद्यालय में विद्या अध्ययन किया है तथा राजकीय रिकार्ड यथा आधार कार्ड, वाहन अनुज्ञा पत्र, पहचान पत्र व बैंक पासबुक में भी प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र श्री मालाराम अंकित है। प्रार्थी के पिता के देहावसान के बाद प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित [illegible] विरासत नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जिसमें सहवन से प्रार्थी का नाम दयाल अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हेमराज है उसे घर में प्यार से दयाल के नाम से पुकारा जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि का विरासत नामान्तकरण स्वीकृत हुआ उस समय प्रार्थी नाबालिग था उसे राजस्व रिकार्ड की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दयाल के स्थान पर हेमराज अंकित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दयाल के स्थान पर हेमराज संशोधित किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 2 में वर्णित भूमि के सह कृषक है इस कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 7 भूमि धारक है इस करण उन्हें आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी ने बालिग अवस्था प्राप्त करने के बाद राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 1.8.2018 को प्राप्त करने पर उसे प्रथम बार जानकारी हुई कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम हेमराज के स्थान पर दयाल सहवन से अंकित हो गया है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजी में प्रार्थी का नाम दयाल के स्थान पर हेमराज संशोधित किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 7 को प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.12.2018 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 324/2018 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 07.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से वकील श्री गोविन्द दास पुरोहित उपस्थित हुये। दिनांक 08.03.2019 को प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश कर जाहिर किया कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है अतः प्रतिवादी संख्या 01 का नाम तर्क किया जावे जिसपर वकील अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गई अतः अप्रार्थी संख्या 01 का नाम तर्क किया गया। दिनांक 22.10.2019 को वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि यदि वादअधीन भूमि में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो अप्रार्थीगणों को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 12.02.2020 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थी की प्रार्थना वह स्वयं न्यायालय के समक्ष सिद्व करे।

दिनांक 10.02.2025 को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एंव जवाब के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रतिवादी सं0 2 से 6 की ओर से प्रस्तुत सहमति जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, वाहन चालक लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति, बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, प्रार्थी की कक्षा 08 की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत पाटन द्वारा दिनांक 28.05.2024 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही नाम हेमराज है। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाब व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चून्दडी पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 59 व 93/1 कुल किता 02 कुल रकबा 52 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 60, 61, 62 कुल किता 03 कुल रकबा 23 बीघा 12 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2066–69) भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के त्रुटियुक्त नाम "दयाल" के स्थान पर सही नाम "हेमराज" का इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है व शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/2/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)